न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 4 / 2017 जिला अलवर

1. सुरजभान पुत्र मंगतुराम, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
2. मुन्नी लाल पुत्र मंगतुराम, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
3. मूर्ति देवी पुत्री मंगतुराम, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
4. कमला देवी पुत्री मंगतुराम, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
5. जागेराम पुत्र श्री हेमचन्द, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
6. राजेश पुत्र श्री हेमचन्द, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
7. सुमन पुत्री श्री हेमचन्द, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
8. ओमला पुत्री श्री हेमचन्द, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
9. छिम्माकौर पत्नी श्री हेमचन्द, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर राजस्थान
10. हंसराज पुत्र लल्लूराम, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
11. [illegible]वती पत्नी लल्लूराम जाति अहीरान ग्राम चन्दपुरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान
12. वितलो पुत्री लल्लूराम, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
13. लूडी उर्फ ललिता पुत्री लल्लूराम, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलान्टस

बनाम

1. सुबेसिंह पुत्र बनवारी लाल, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान) ।
2. पूरण सिंह पुत्र बनवारी लाल, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
3. सूतेश कुमार पुत्र ज्ञानीराम, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

4. संजय पुत्र ज्ञानीराम, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
5. ग्राम पंचायत तिगॉवा, पं. सं. कोटकासिम, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तिगॉवा, पंचायत समिति व तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
6. ज्ञानीराम पुत्र मंगतुराम, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)
7. बनवारी लाल पुत्र मंगतुराम, जाति अहीरान, ग्राम चन्दपुरा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर
दिनांक 15.9.2016

उपस्थित–

1. वकील अपलान्ट श्री विजय सिंह राठौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री महेश गौतम

निर्णय

दिनांक– 12.3.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 15.9.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम धीरधोका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा में हिस्सा 3/28, खसरा नम्बर 226 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा में हिस्सा 1/9 व खसरा नम्बर 189/किता 4 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा में हिस्सा 1/7 का खातेदार बस्तीराम पुत्र मंगतुराम था जिसके नाऔलाद फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 849 ग्राम पंचायत तिगांवा द्वारा दिनांक 5.3.2013 को सुरजभान, ज्ञानीराम, बनवारी लाल, मुन्नी लाल पुत्रान मंगतू, मूर्ति देवी, कमला देवी पुत्रियां मंगतू, जागेराम, राजेश, सुमन, ओमला पुत्र पुत्रियॅा हेमचन्द, छिम्माकौर पत्नी हेमचन्द, हंसराज पुत्र लल्लूराम, इन्द्रावती पत्नी लल्लूराम, वितलो, लूडी पुत्रियॅा लल्लूराम के नाम तस्दीक किया गया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 849 दिनांक 5.3.2013 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट सूबेसिंह वगैहरा द्वारा प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत की जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.9.2016 द्वारा आलोच्य नामांतरकरण संख्या 849 वाके ग्राम धीरधोका की आराजियात का होने एवं मृतक बस्तीराम मुताबिक मुत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11.2.2013 को फौत होना प्रमाणित होना माना है एवं नामांतरकरण विरासत मृतक बस्तीराम 1.3.2013 को दर्ज

Scanned by CamScanner

किया जाकर दिनांक 5.3.2013 को सरपंच के द्वारा तस्दीक किया गया है, परन्तु आलोच्य नामांतरकरण के निर्णय पर पंचायत का कौरम पूरा था या नहीं इस बाबत कोई उल्लेख दर्ज नहीं है । इससे प्रतीत है कि ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा कौरम के अभाव में अकेले ही आलोच्य नामांतरकरण को तस्दीक किया है जबकि विरासत के मामलों में मृतक के वारिसों की जॉच किया जाना आवश्यक होता है । सरपंच द्वारा बिना वारिसान को सूचित किये स्वयं नामांतरकरण को स्वीकार कर निर्णय करने में भारी भूल की है । यदि सरपंच कौरम में तथा मृतक के वारिसान को सूचित कर नामांतरकरण करता तो वसियत गृहितागण को वसियत पेश करने का समुचित अवसर मिलता, जो उनको नहीं मिला। इसलिये अपीलान्ट द्वारा वसियत को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट कराया है । रही मृतक की सेवा टहल करने का , तो दोनों पक्षों की ओर से दावे तो सेवा बाबत किये , परन्तु इस प्रश्न को सिद्ध करने के संबंध में साक्ष्य किसी ने भी पेश नहीं किये । नामांतरकरण कौरम के अभाव में निर्णित होने से इस बात की पुष्टि होती है कि अपीलान्ट्स को नामांतरकरण के संबंध में जानकारी उनकी बताई तिथि को ही हुई है इसलिये अपीलान्टान/ प्रार्थीगण द्वारा अपील में देरीना अवधि का कन्डोन किया जाना न्यायोचित है । अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील आंशिक स्वीकार की गई एवं ग्राम पंचायत तिगांवा का निर्णय दिनांक 5.3.2013 बाबत इन्तकाल संख्या 849 ग्राम धीरधोक निरस्त किया गया एवं आलोच्य नामांतरकरण तहसीलदार कोटकासिम को प्रतिप्रेषित किया गया कि वो आलोच्य नामांतरकरण के संबंध में जॉच कर पुनः निर्णय पारित करें ।

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के उक्त निर्णय दिनांक 15.9.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स सुरजभान वगैहरा द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रश्नगत इन्तकाल संख्या 849 दिनांक 5.3.2013 बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसियत दिनांक 30.7.1993 को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश से प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि वसियत के आधार पर पारित प्रोबेट को आधार बनाया है जबकि प्रोबेट अभी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष लम्बित है । ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 849 को निरस्त किया जाना किसी भी स्थिति में विधिक नहीं है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट्स की अपील मियाद बाहर थी एवं विलम्ब का कारण भी कपोल कल्पित व मनगढन्त तथा मिथ्या था । अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब को क्षमा किये बिना ही प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने में विधिक त्रुटि की

Scanned by CamScanner

है । विवादित भूमि के खातेदार मृतक बस्सतीराम कभी भी रेस्पोंडेन्ट्स के साथ नहीं रहा । बस्सतीराम हमेशा अपीलान्टान के साथ ही रहा है और अपीलान्टान ने ही उसकी सेवा सुश्रुषा की है । यहॉ तक कि मृतक बस्सतीराम के कैंसर का ईलाज भी अपीलान्टान ने ही करवाया था जिसकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट्स को प्रारम्भ से ही थी एवं रेस्पोंडेन्ट्स की सहमति से ही इन्तकाल संख्या 849 दर्ज व तस्दीक हुआ था । उनका कहना था कि वसियत के संबंध में प्रोबेट सिविल न्यायालय में लम्बित रहते हुये नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा कौरम में वारिसान की विधिवत जॉच की जाकर अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक किया है , जिसे अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम ने अपीलाधीन आदेश से बिना किसी कानूनी तथ्यों के निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश खिलाफ तथ्य, कानून, मौका, राजस्व रिकार्ड व प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे एवं प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखा जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार बस्तीराम द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सुबेसिंह, 2 पूरण सिंह, 3 सूतेश कुमार, 4 संजय कुमार के नाम एक वसियत दिनांक 30.7.1993 को लिख दी थी । उक्त वसियत न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं.1 किशनगढबास, जिला अलवर के न्यायालय से प्रोबेट का निर्णय दिनांक 23.9.2015 पारित होकर प्रोबेट प्रमाण पत्र जारी हो चुका है । ग्रम पंचायत द्वारा बस्तीराम की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण को अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक करने से पूर्व वारिसान की विधिवत जॉच नहीं की तथा अकेले सरपंच द्वारा बिना पंचायत कौरम में नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो विधिसम्यक नहीं है । रेस्पोंडेन्ट्स के हक में सक्षम न्यायालय से वसियत प्रोबेट है ओर वे वसियत के आधार पर अपने नाम नामांतरकरण तस्दीक कराने के विधिक अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण एवं कानूनी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये रेस्पोंडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 5 व अपील अपीलाधीन आदेश से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 849 दिनांक 5.3.2013 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कोटकासिम को नामांतरकरण के संबंध में जॉच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है एवंः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार बस्तीराम की विरासत के नामांतरकरण का है । ग्रम पंचायत तिगांवा ने

Scanned by CamScanner

मृतक खातेदार बस्तीराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 849 दिनांक 5.3.2013 अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक किया गया है जबकि रेस्पोंडेन्ट्स के हक में मृतक खातेदार बस्तीराम द्वारा की गई वसियत है , जो सिविल न्यायालय से प्रोबेट है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.9.2016 द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स की अपील स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार को नामांतरकरण के संबंध में पुनः जॉच कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में मृतक खातेदार बस्तीराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख 849 ग्राम पंचायत तिगांवा द्वारा दिनांक 5.3.2013 को अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक किया है तथा रेस्पोंडेन्ट्स के पक्ष में मृतक खातेदार बस्तीराम द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 किशनगढबास , जिला अलवर के आदेश दिनांक 23.9.2015 से प्रोबेट है । ग्राम पंचायत तिगांवा द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व वसियतग्रहिता रेस्पोंडेन्ट्स को बिना सुने व वारिसों की जॉच किये बिना ही बिना कौरम के अकेले सरपंच द्वारा तस्दीक किया है । रेस्पोंडेन्ट्स के हक में मृतक खातेदार बस्तीराम द्वारा की गई वसियत होने से वे प्रकरण में प्रभावित पक्षकार थे जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था , लेकिन ग्राम पंचायत ने ऐसा नहीं कर केवल अपीलान्ट्स के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । हम समझते हैं कि प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट्स को भी तहसीलदार के स्तर पर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर नामांतरकरण के संबंध में जॉच कर पुनः निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा । इसी परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.9.2016 द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 849 दिनांक 5.3.2013 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कोटकासिम, जिला अलवर को आलोच्य नामांतरकरण के संबंध में जॉच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner